वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः 401 / गोप0 / प्रायो0 / 24

दिनांकः 06.05.2024

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यायलय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषय :– विश्वविद्यालय में प्रायोगिक एवं मौखिकी परीक्षा सम्पादित करने वाले परीक्षकों को वेतन मैट्रिक्स लेवल के अनुसार यात्रा–भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के वित्त समिति की बैठक दिनांकः 28.02.2024 के कार्य सूची संख्या–07 स्नातक की प्रायोगिक / मौखिकी परीक्षा सम्पादित करने वाले परीक्षकों को 150 किलोमीटर आने एवं 150 किलोमीटर जाने (300 किलोमीटर) का यात्रा–भत्ता कार द्वारा दिये जाने पर विचार।

निर्णय :– समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्नातक / स्नातकोत्तर की प्रायोगिक एवं मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए शासनादेश संख्या–3 / 2019 / जी–2–41 / दस–2019–601 / 2011, दिनांकः 05.03. 2019 में निहित व्यवस्था के क्रम में शिक्षक के वेतन मैट्रिक्स लेवल के अनुसार यात्रा–भत्ता एवं दैनिक भत्ता दिनांकः 01.04.2024 से किये जाने की संस्तुति की गयी। इस सम्बन्ध में उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–04 की व्यवस्था मोटर कार / जीप / पेट्रोल / डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गयी सड़क यात्राओं / पेट्रोल / डीजल चालित वाहनों के अलावा अन्य वाहनों से / पैदल की गयी सड़क यात्राओं के लिए लागू होगी। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–01 की शर्ते आवश्यकतानुसार यथास्थान लागू रहेगी।

<u>**सड़क मील यात्रा**</u>

सरकारी सेवकों / शिक्षकों को सड़क द्वारा की गयी यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–23(बी) (2) में प्राविधानित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन देय सड़क मील भत्ते की दर अब निम्नानुसार होगी:–

(i) वेतन मैट्रिक्स लेवल–11 एवं उससे उच्च मैट्रिक्स लेवल के सरकारी सेवक / शिक्षकः–
मोटर कार / जीप आदि से प्रतिमाह 1200 किमी0 तक की गयी सड़क यात्राओं के लिएः–

क्र0 सं0	यात्रा की दूरी	रूपये प्रति कि0मी0	
		पेट्रोल चालित वाहन	डीजल चालित वाहन
1.	प्रथम 500 किमी0 तक	10.00	7.50
2.	500 किमी0 से अधिक परन्तु 1200 किमी0 तक	7.00	5.50

(ii) वेतन मैट्रिक्स लेवल–11 एवं उच्च लेवल के अधिकारियों द्वारा मोटर कार / जीप के अतिरिक्त अन्य साधन से की गयी यात्राओं तथा मैट्रिक्स लेवल–11 से निम्न लेवल के सरकारी सेवक / शिक्षक के लिए :–

(क)	पेट्रोल / डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गयी सड़क यात्राओं के लिए	रू0 5.00 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रू0 1000 / – से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।
(ख)	पेट्रोल / डीजल चालित वाहनों के अलावा अन्य वाहनों से / पैदल की गयी सड़क यात्राओं के लिए	रू0 2.50 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रू0 500 / – से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(iii) अल्प दूरी की यात्राओं (निवास स्थान/गन्तव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के बीच) के लिए वास्तविक दूरी के आधार पर सरकारी सेवकों/शिक्षकों को रू0 10.00 प्रति किमी0 की दर से सड़क मील देय होगा।

(iv) ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हों, तक की यात्रा वातानुकूलित बस द्वारा करने हेतु वे समस्त शासकीय सेवक/शिक्षक अधिकृत होंगे जो रेल की वातानुकूलित टू टियर श्रेणी एवं इससे उच्च श्रेणी में रेल यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे। अन्य शेष सरकारी सेवक/शिक्षक डीलक्स/साधारण बस द्वारा यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे।

(v) रेल मार्ग से जुड़े दो स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा सार्वजनिक वाहन से यात्रा एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य की जायेगी कि कुल किराया सम्बन्धित कर्मचारी/शिक्षक के अधिकृत श्रेणी के रेल किराये से अधिक न हो।

अतः आपसे अनुरोध है कि वित्त समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार प्रायोगिक एवं मौखिकी परीक्षा में दिनांकः 01.04.2024 से परीक्षकों के भुगतान की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वेबमास्टर, को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
3. आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के संज्ञानार्थ।
4. आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के संज्ञानार्थ।
5. आशुलिपिक परीक्षा नियंत्रक।

06.05.24

परीक्षा नियंत्रक

3 आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के संज्ञानार्थ।